

## परिशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावों की धारा 2 के अंतर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

|     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | परियोजना का विवरण                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (क) | अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव परियोजना/ स्कीम/ संक्षिप्त विवरण                 | राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के निर्माण के क्रम में पूर्वी क्षेत्र के विद्युतीय नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु 400 के.वी. डबल सर्किट (QUAD MOOSE) सीतामढ़ी (पावरग्रिड)-ढलकेबार(नेपाल) परीषण लाइन (भारतीय भाग) परियोजना का निर्माण। इस परियोजना के अंतर्गत पूर्वी क्षेत्र के विद्युतीय नेटवर्क के सुदृढीकरण को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जोड़कर बिहार सहित देश के अन्य राज्यों को विद्युत ऊर्जा का प्रवाह प्रभावी परीषण किया जाएगा। इससे औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों का सुदृढीकरण होगा एवं बृहद रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। |
| (ख) | 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप | ब्योरा सहित सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।<br>(अनुलग्नक -ट)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (ग) | परियोजना का लागत                                                                  | रुपये 82.29 करोड़ मात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (घ) | वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य                                    | अन्य कोई वैकल्पिक भूमि पर नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (ङ) | लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)                                        | संलग्न है।(अनुलग्नक-ग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (च) | रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।                                             | इस परियोजना के अंतर्गत पूर्वी क्षेत्र के विद्युतीय नेटवर्क के सुदृढीकरण को राष्ट्रीय विद्युत गेट से जोड़कर बिहार सहित देश के अन्य राज्यों को भी देती है उर्जा का प्रभावी परेशान किया जाएगा इससे औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों का सुदृढीकरण होगा एवं विराट रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.  | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण                                            | 0.3634 हेक्टेयर (अनुलग्नक-क)<br>संरक्षित वन क्षेत्र में लाइन का नाम के निर्माण हेतु गैर वानिकी परियोजना हेतु वांछित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.  | परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण ,यदि कोई है:-                            | कोई नहीं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (क) | परिवारों कि संख्या                                                                | शून्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (ख) | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों कि संख्या:                              | शून्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (ग) | पुर्नवास योजना (संगलन किये जाने के लिए )                                          | शून्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

18/01/2022

विनय कुमार / Vinay Kumar  
मुख्य प्रबंधक (पावर लाइन निर्माण)/Chief Manager (TLC)  
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED  
ERTS-I, 400/200/132 KV Sitamarhi Sub-Station  
परियोजनाएं आ. एन. ए. ए. विभाग-परीक्षक, बिहार-843100  
पिन कोड : 843100

|    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ / नहीं)                                                                                                                                                    | नहीं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और / या दंडस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण कि लागत के साथ -साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार कि गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा आदि में पुनः वनीकरण कि वचनबद्धता (वचनबद्धता संगलन ) कि जाय । | प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वचनबद्धता संगलन है ।<br>(अनुलग्नक: छ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. | निर्देशों के अनुसार संगलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा                                                                                                                                                           | क) मूल प्रस्ताव<br>ख) वन भूमि का विवरण : अनुलग्नक- क<br>ग) वनस्पति जाती का विवरण : अनुलग्नक- ख<br>घ) लागत - लाभ विश्लेषण : अनुलग्नक - ग<br>ङ) भारत सरकार का राजपत्र : अनुलग्नक- घ<br>च) विधुत मंत्रालय, भारत सरकार का कायदिश : अनुलग्नक- ङ<br>छ) वन विभाग कि मानक शर्तें : अनुलग्नक-च<br>ज) प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र : अनुलग्नक- छ<br>झ) कार्य प्रारम्भ न करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र : अनुलग्नक-ज<br>ञ) वन भूमि पर वृक्षारोपण हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र: अनुलग्नक-झ<br>ट) एन.पी.वी. के लिए सहमति पत्र : अनुलग्नक-ञ<br>ठ) सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र : अनुलग्नक-ट |

तिथि: 18/01/2022  
स्थान - सीतामढ़ी ।

नाम : विनय कुमार  
पदनाम : मुख्य प्रबंधक

पता: 400/200/132 के वी उपकेंद्र  
परमानंदपुर, डुमरा, सीतामढ़ी  
बिहार-843302